BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXV | 16th July 2014 | No. 11

केन्द्रीय बजट 2014–15

मुख्य बातें

अरूण जेटली
वित्त मंत्री

हाउसिंग : • सस्ते घरों के लिए 4,000 करोड़ रूपये • नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 12 हजार करोड़ • पीपीपी मॉडल के जरिये 500 आदर्श शहर • 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य • आरआइटीएस ट्रस्ट पर टैक्स में छूट मिलेगी • अफोर्डेबल हाउसिंग में एफडीआइ की अनुमति • बड़े शहरों के आसपास 100 नये स्मार्ट सिटी।

सुविधा : • हर परिवार के लिए बैंक एकाउंट • टैक्स मामलों के लिए डिजिटल बेंच • इपीएफ खाते का नंबर नहीं बदलेगा • सभी वित्तीय लेन-देन के लिए डीमैट एकाउंट • सभी तरह के निवेशकों के लिए एक केवाइसी • करेंसी नोट ब्रेल में होगा जारी • नौ एयरपोर्ट ई-वीजा सुविधा से होंगे लैस • टियर टू व थ्री सिटी में पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट • देश भर में रूरल पावर प्लान का गुजरात मॉडल।

स्वास्थ्य : • खुलेंगे चार नये एम्स • पांच मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर • 2019 तक सभी घरों में शौचालय • कंपनियां करेंगी मलिन बस्तियों में सुधार • किसानों को 100 करोड़ रूपये का हेल्थ कार्ड।

महंगाई : • महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड • फूड व ऑयल एलपीजी सब्सिडी की समीक्षा।

गांव-किसान : • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना • किसान टीवी किया जायेगा लांच • देश भर में मोबाइल मिट्टी परीक्षण केंद्र • नेशनल कॉमन मार्केट पर विमर्श • नयी यूरिया नीति, एफसीआइ का पुनर्गठन।

आदिवासी/कमजोर वर्ग : • खाद्य सुरक्षा में विशेष प्रावधान • आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना, • अनुसूचित जाति के उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये।

वादा किया पूरा : • सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपये • गंगा की सफाई के लिए 237 करोड़ रुपये, एनआरआइ फंड भी • नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये • कश्मीरी विस्थापितों के लिए 500 करोड़ रुपये • बड़े नगरों में महिला सुरक्षा के लिए 150 करोड़ • पर्यावरण सुधार के लिए नेशनल फंड • वन रैंक वन पेंशन के लिए एक हजार करोड़ • दिल्ली में युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये • विशिष्ट थीम के आधार पर पांच पर्यटक सर्किट • बीस लाख की आबादी वाले शहरों में मेट्रो योजना।

ये कदम भी खास : • माइनिंग में राज्य सरकारों की रॉयल्टी बढ़ेगी • ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सर्विस टैक्स • कोयले की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए बनेगी सख्त प्रणाली।

यह भी : • राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़ रुपये आवंटित • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ • पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अरूण प्रभा नाम से 24 घंटे के टीवी चैनल • रक्षा व बीमा मे 49% तक एफडीआई।

इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ी : • इनकम टैक्स से छूट की सीमा दो लाख से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये • वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री, पहले 2.5 लाख रुपये तक की छूट • इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख। पहले एक लाख थी • होमलोन (जिस मकान में स्वयं रह रहे हों) ब्याज पर इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट दो लाख की गयी। पहले 1.5 लाख थी • इपीएफ कटौती के लिए न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये। पहले यह सीमा 6,500 थी। • पीपीएफ में सालाना जमा की सीमा एक लाख से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये।

(साभार: प्रभात खबर, 11.7.2014)

बजट पर चैम्बर की प्रतिक्रिया

पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आम बजट में बिहार पर विशेष ध्यान नहीं देने एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर ने केन्द्र सरकार से राज्य को विशेष पैकेज तथा औद्योगिक प्रगति के लिए पिछड़े जिले को टैक्स हॉलीडे देने की मांग की थी।

भारतीय प्रबंधन संस्थान खोलने और भागलपुर में टैक्सटाइल कलस्टर स्थापित करने की घोषणा स्वागत योग्य है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय, हॉर्टिकल्चर सेन्टर तथा टूरिज्म के विकास के लिए बोधगया के अतिरिक्त अन्य जगहों को शामिल किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल कोरीडोर, डेडीकेटेड फ्रंट कोरिडोर, व्यय प्रबंधन आयोग, राजकोषीय विवेक कायम करना, कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना, नई यूरिया नीति लागू करना, जीएसटी लागू करना, एनआरआई को निवेश के लिए आमंत्रित करना, कृषि मूल्य के स्थिरीकरण के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, कीमतों पर नियंत्रण के खुला बाजार नीति पीपीपी के जरिए 15 हजार किलोमीटर नई गैस पाइप लाइन, आयकर में छूट सीमा बढ़ाना, 80 सी में भी छूट सीमा बढ़ाना एवं विदेशों से 45000 रूपये तक का सामान कर मुक्त करने जैसी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। (साभार: हिन्दुस्तान, 11.7.2014)

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दैनिक जागरण के **"गंगा जागरण"** अभियान जो गंगा की पवित्रता, स्वच्छता एवं निर्मलता हेतु जनमानस में जागरूकता पैदा करने की कोशिश है, की सराहना करते हुए चैम्बर के माननीय सदस्यों से दैनिक जागरण के इस भागीरथ प्रयास में भावनात्मक रूप से जुड़ने की अपील की है।

ज्ञातव्य है कि दैनिक जागरण का यह गंगा रथ गोमुख से चलकर गंगा सागर तक जायेगा और बिहार में प्रवेश करते हुए 18 एवं 19 जुलाई को पटना में रहेगा।

सस्ता

• साधारण कलर टीवी • 19 इंच के एलइडी व एलसीडी • लैपटॉप व टैबलेट कंप्यूटर व कंप्यूटर पार्ट्स • मोबाइल फोन • खेल के दस्ताने • छोटी जीवन बीमा पालिसियां • 500 से 1000 रुपये तक के जूते • स्टील का सामान • फूड प्रोसेसिंग मशीनरी • डिब्बाबंद खाना • विदेशों में खरीदारी • डीडीटी कीटनाशक • साबुन • सोलर लाइट • ब्रांडेड कपड़े • प्लास्टिक बोतलें • नवीनीकरण ऊर्जा यंत्र • पवन ऊर्जा यंत्र • हीरे और कीमती पत्थर • तेल उत्पाद • एचआइवी एड्स ड्रग्स एंड डोमेस्टिक लैब • आरओ वाटर प्योरिफायर • इ-बुक रीडर्स • माचिस • ब्रांडेड पेट्रोल पांच रुपये सस्ता

महंगा

• सिगरेट, गुटखा व पान मसाला, तंबाकू • कोल्ड ड्रिंक • रेडियो टैक्सी • क्लीन एनर्जी सेस • कोयला, बॉक्साइट • अधकटे हीरे • आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान • पोर्टेबल एक्स-रे मशीन (साभार: प्रभात खबर, 11.7.2014)

बिहार को यह मिला

• भागलपुर में टेक्सटाइल कलस्टर • सारनाथ-गया-बनारस बौद्ध गलियारा • इलाहाबाद से हल्दिया तक चलाया जाएगा पानी का जहाज • गया राष्ट्रीय विरासत नगर विकास व संवर्धन योजना में प्रस्तावित • गंगा घाटों के विकास के लिए फंड • एक आईआईएम की स्थापना।

यह नहीं मिला

• विशेष राज्य की मांग पर चर्चा नहीं • केंद्रीय कृषि विवि की स्थापना • आयकर छूट सीमा पांच लाख तक करने की मांग • नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कोई नई घोषणा नहीं • सिंचाई के लिए नई योजना • बिहार को नहीं मिल पायी मेट्रो रेल। (साभार: हिन्दुस्तान, 11.7.2014)

केन्द्रीय बजट 2014-15

₹ आता है

₹ जाता है

स्रोत : केन्द्रीय बजट 2014-15

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.7.2014)

रेल बजट 2014-15 में बिहार को क्या मिला

आठ नई ट्रेनें मिलीं, छह का विस्तार

रेल बजट में बिहार की पूरी तरह उपेक्षा की गई। ना तो नई परियोजना मिली। ना ही पुरानी परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया। कहने के लिए 8 ट्रेनें मिलीं और 6 गड़ियों का मार्ग विस्तार हुआ।

ये ट्रेनें मिलीं **जनसाधारण** : अहमदाबाद-दरभंगा वाया सूरत • जयनगर-मुम्बई • सहरसा-आनंद बिहार • सहरसा-अमृतसर

एक्सप्रेस : अहमदाबाद-पटना वाया वाराणसी (साप्ताहिक) • छपरा-लखनऊ वाया बलिया, गाजीपुर, वाराणसी (सप्ताह में तीन दिन) कामाख्या-कटरा एक्सप्रेस वाया दरभंगा।

डेमू : छपरा-मंडुआडीह वाया बलिया(6 दिन)।

इनका विस्तार आनंद बिहार-सासाराम गरीब रथ गया तक • गोंदिया-मुजफ्फरपुर एक्स. बरौनी तक • सोनपुर-कप्तानगंज पैसेंजर गोरखपुर तक • गोरखपुर-थावे पैसेंजर सीवान तक • बक्सर-मुगलसराय मेमू का वाराणसी तक • झाझा-पटना मेमू जसीडीह तक।

नई लाइनें मुगलसराय-भभुआ वाया नौघर • भभुआ-मुंडेश्वरी।

मेगा सेतु के लिए राशि : दीघा-सोनपुर 226 करोड़ • मुंगेर पुल 200 करोड़ • कोसी पुल : 25

वाई-फाई सिस्टम : पटना जंक्शन पर डायमंड चतर्भुज हाई स्पीड कोरिडोर बिहार से गुजरेगा। (साभार: दैनिक भास्कर, 9.7.2014)

रेल बजट 2014-15 में बिहार को प्राथमिकता नहीं- चैम्बर अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने संसद में दिनाक 8 जुलाई 2014 पेश रेल-बजट 2014-15 पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस रेल बजट में भी बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को आशानुरूप प्राथमिकता नहीं दी गयी है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि रेल में बिहार में चल रही कुछ प्रमुख रेल परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए कोई ठोस प्रवधान नहीं किया गया है जिससे राज्य की (1) मधेपुरा में ग्रीन फिल्ड इलेक्ट्रिक लोको निर्माण इकाई (2) गड़हरा में वैगन कारखाना (3) समस्तीपुर में कारखाना एवं लोको शेड का विस्तार (4) गड़खा में वैगन पुनर्निर्माण कारखाना (5) जमालपुर में रेल इंजन रिपेयरिंग वर्कशॉप (6) सोनपुर में नयी डेमू शेड (7) डालमियॉनगर की रेल बौगी कारखान (8) पटना और मुंगेर के बीच गंगा पर मेगापुल एवं (9) रेल चक्का फैक्ट्री, छपरा का भविष्य अधर में है।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही रेलवे कहीं इन आवश्यक परियोजनाओं को बन्द या ठंढे बस्ते में न डाल दे। यदि ऐसा हुआ तो यह बिहार के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा तथा इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माननीय रेल मंत्री द्वारा 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषण की है परन्तु इसमें भी बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार को कोई नई प्रीमियम या पूर्ण एसी ट्रेन भी नहीं मिली है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार को तीन नई ट्रेनों यथा- पटना- अहमदाबाद भाया वाराणसी, छपरा-लखनउ एवं सहरसा-आनन्द बिहार जनसाधारण साप्ताहिक एक स्वागतयोग्य कदम है। इसके अतिरिक्त डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर, नमक, दूध, फल-सब्जी आदि के आवागमन के लिए विशेष डिब्बों का निर्माण, धार्मिक तीर्थ यात्राओं के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था, 50 प्रमुख स्टेशनों पर साफ-सफाई का जिम्मा निजी कम्पनियों को देना, ब्रांडेड पैकेज्ड फूड, हाउस कीपिंग विंग, स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, हेल्प लाइन नम्बर, जैविक शौचालय , स्टेशनों एवं ट्रेनों में स्वच्छ जल के लिए आरओ यूनिट, मशीनीकृत लॉण्ड्री, मोबाइल फोन तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रेलवे टिकट की बुकिंग, इको टूरीज्म, स्टेशनों को चारदीवारी से घेरना, चार हजार महिला आरपीएफ पुलिस, वर्तमान में प्रति मिनट दो हजार टिकट की जगह 7000 प्रति मिनट जारी करने की घोषणा स्वागतयोग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना, स्वर्णिम चतुर्भुज हाई वे की भांति डायमंड क्वाडिलेट्रल योजना, स्टेशनों पर फूड कोर्ट एवं वाई

फाई, बन्दरगाहों को जोड़ने के लिए सागरमाला योजना, कोल कनेक्टिंग ट्रेन्स, 500 मेगावाट सौर उर्जा का उत्पादन, रेलवे गेस्ट हाउसों में ऑन लाइन बुकिंग, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 11योजनाओं के लिए 5116 करोड़ की व्यवस्था, माल डिब्बों की ऑन लाइन बुकिंग भी स्वागत योग्य घोषणाएं हैं।

'बोजते' से बन गया बजट

क्या है बजट : बजट लैटिन के बोजते शब्द से बना है। इसका मतलब चमड़े का थैला होता है। माना जाता है कि मध्यकाल में पश्चिमी देशों के व्यापारी पैसे रखने के लिए चमड़े की थैली का प्रयोग करते रहे होंगे। वहीं से वह परंपरा राजकाज और प्रशासनिक गलियारे तक पहुंच गयी, जहां चमड़े के बैग में ही आय-व्यय का हिसाब-किताब रखा जाता है। सरकार द्वारा देश के आय-व्यय का लेखा-जोखा पेश करने की शुरूआत ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन के वित्त मंत्री संसद में जब आय-व्यय का लेखा-जोखा पेश करते हैं, तो संबद्ध दस्तावेज चमड़े के एक लाल बैग में रखकर लाते हैं। उस बैग को फ्रेंच में 'बजेटी' कहा जाता था, जो अंग्रेजी में भाषांतर करते समय 'बजट' हो गया।

बजट की टेढ़ी शब्दावली के सीधे मायने

राजकोषीय घाटा : सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को आर्थिक शब्दावली में 'राजकोषीय घाटा' कहा जाता है। इससे इस बात की अभिव्यक्ति होती है कि सरकार को काम-काज चलाने के लिए कितने उधार की जरूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब-किताब लगाने में उधार को शामिल नहीं किया जाता। यानी, सरकार के व्यय और आय के अंतर को वित्तीय घाटा या बजटीय घाटा भी कहा जाता है।

चालू खाता घाटा : जब किसी देश की वस्तुओं, सेवाओं और ट्रांसफर का आयात इनके निर्यात से ज्यादा हो जाता है, तब चालू खाते घाटा की स्थिति पैदा होती है। यानी, जब भारत में बनी चीजों और सेवाओं का बाहर निर्यात होता है तो इससे भुगतान हासिल होता है। दूसरी ओर, जब कोई भी वस्तु या सेवा आयात की जाती है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह देश में प्राप्त भुगतान और बाहरी देशों को चुकायी गयी कीमत में जो अंतर आता है, वह चालू खाता घाटा कहलाता है।

सरकारी राजस्व व व्यय : सरकारी राजस्व सरकार को उसके सभी स्रोतों से होनेवाली आमदनी कहा जाता है। इसके विपरीत सरकार जिन मदों में खर्च करती है, उसे सरकारी व्यय कहते हैं। यह सरकार की वित्तीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

बजट आकलन : वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्ताव रखते हुए विभिन्न तरह के कर और शुल्क के माध्यम से होनेवाली आय और योजनाओं व अन्य तरह के खर्चों का लेखा पेश करते हैं, उसे आमतौर पर बजट आकलन कहा जाता है।

वित्त विधेयक : इस विधेयक के माध्यम से ही आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सरकारी आमदनी बढ़ाने के विचार से नये करों का प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही, वित्त विधेयक में मौजूदा कर प्रणाली में किसी तरह के संशोधन को प्रस्तावित किया जाता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाता है।

राजस्व सरप्लस : यदि राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्च से अधिक हैं, तो यह अंतर राजस्व सरप्लस की श्रेणी में आता है।

विनियोग विधेयक : विनियोग विधेयक का सीधा अर्थ यह है कि तमाम तरह के उपायों के बावजूद सरकारी व्यय पूरा करने के लिए सरकार की कमाई नाकाफी है। सरकार को इस मद के व्यय को पूरा करने के लिए संचित निधि से धन की जरूरत पड़ती है। एक तरह से वित्त मंत्री इस विधेयक के जरिये संसद से संचित निधि से धन निकालने की अनुमति मांगते हैं।

पूंजी बजट : बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सरकारी आमदनी का ब्योरा पेश करते हैं। उनमें पूंजीगत आय भी शामिल होती है। यानी, इसमें सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और विदेशी बैंक से लिये जानेवाले कर्ज, ट्रैजरी चालानों की बिक्री से होनेवाली आय के साथ ही पूर्व में राज्यों को दिये गये कर्जों की वसूली से आये धन का हिसाब-किताब भी इस पूंजी बजट का हिस्सा है।

संशोधित आकलन : यह बजट में खर्चों के पूर्वानुमान और वास्तविक खर्चों के अंतर का ब्योरा संशोधित आकलन कहलाता है।

पूंजी भुगतान : सरकार को किसी तरह की परिसंपत्ति खरीदने के लिए जो भुगतान देना होता है, वह इस श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक उपक्रमों को मंजूर कर्ज और अग्रिम राशि भी पूंजी खर्च के रूप में जाना जाता है।

पूंजी प्राप्तियां : रिजर्व बैंक अथवा अन्य एजेंसियों से प्राप्त कर्ज, ट्रेजरी चालान की बिक्री से होनेवाली आमदनी के साथ ही राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को दिये गये पिछले कर्जों की उगाही और सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त धन भी इसी श्रेणी में आते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद : देश की अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य को कहा जाता है।

अनुदान मांगें : संचित कोष से मांगे गये धन के खर्चों का अनुमानित लेखा-जोखा ही अनुदान मांग है।

सब्सिडी : आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सरकार की ओर से आम लोगों को दिया जानेवाला आर्थिक लाभ सब्सिडी कहलाती है। यह नकद भी होती है। कंपनियों को यह टैक्स छूट के रूप में मिलती है। ताकि औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार बढ़ें।

पूंजीगत और राजस्व खर्च : सब्सिडी और कर्ज पर ब्याज का भुगतान जैसे परिसंपत्ति का निर्माण न करनेवाले खर्च राजस्व खर्च कहलाते हैं। वहीं राजमार्गों और बांधों के निर्माण या राज्यों को केंद्र की ओर से दिया जानेवाला कर्ज पूंजीगत खर्च कहलाता है।

आयोजना और गैर आयोजना व्यय : आयोजना व्यय में एक वार्षिक कोष शामिल होता है, जो योजना आयोग की ओर से पांच साल की विकास योजना पर होवाले खर्च को देखते हुए आवंटित किया जाता है। वहीं, गैर आयोजना व्यय में रक्षा, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन और योजनागत परियोजनाओं पर किये जाने वाले सारे खर्च शामिल होते हैं।

कर राजस्व : सरकार अपना खर्च चलाने के लिए लोगों और कंपनियों पर सीधे टैक्स लगाती है। वह लोगों की ओर से इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं पर भी टैक्स लगाती है। यह सरकार की आय का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत है।

गैर कर राजस्व : प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) और अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) के अलावा सरकार के राजस्व के स्रोत को गैर कर राजस्व कहते हैं। इसमें सरकार को हासिल होनेवाला ब्याज, स्पेक्ट्रम नीलामी से हासिल पैसा और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी से हासिल धन शामिल होता है।

कर्ज अदायगी : जिस तरह कोई उपभोक्ता अपने कर्ज को मूलधन और ब्याज के तौर पर एक निश्चित अंतराल में चुकाता है, उसी तरह सरकार भी अपने बाहरी कर्ज को कई तरह की एजेंसियों और आंतरिक कर्ज लेकर जुटाती है। अमूमन बांड बेच कर जुटाये गये पैसों का इस्तेमाल होता है।

ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू (सकल राजस्व) : सरकार को टैक्स से होनेवाली आय से राज्यों को वित्त आयोग के बताये हिसाब से उनका हिस्सा देना होता है। बाकी रकम केंद्र सरकार के पास रह जाती है।

नॉन टैक्स रेवेन्यू (गैर-कर आय) : इस मद में जो अहम आमदनी आती है, वह है सरकार की तरफ से दिये गये ऋण पर मिलने वाला ब्याज और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हिस्सेदारी पर उनसे मिलने वाला डिविडेंड और लाभ। सरकार को अलग-अलग सेवाओं से भी आमदनी होती है, जिनमें उसकी तरफ से मुहैया करायी जानेवाली जनसेवाएं भी शामिल हैं। इसमें से केवल रेलवे एक अलग विभाग है। लेकिन इसकी समूची आमदनी कसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है और खर्च भी वहीं से निकलता है।

मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स : मुख्य रूप से पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट से मिलनेवाली आय शामिल होती है।

ग्रॉस बजटरी सपोर्ट (सकल बजट समर्थन) : पंचवर्षीय योजना को पांच सालाना योजना में बांटा गया है। प्लान फंडिंग को सरकारी सपोर्ट (बजट से) और सरकारी कंपनियों के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों में बांटा गया है। प्लान के सरकारी सपोर्ट, जिसमें राज्यों का प्लान भी होता है, को ग्रॉस बजटरी सपोर्ट कहते हैं।

एक्सपेंडिचर (व्यय) : सरकारी खर्च के बारे में जानने से पहले हमारे लिए प्लान और नॉन प्लान स्पेंडिंग और सेंट्रल प्लान के बारे में जानना जरूरी होता है।

प्लान एक्सपेंडिचर (योजना व्यय) : यह मुख्य रूप से सालाना योजना को मिलनेवाला बजट समर्थन होता है। इसमें मुख्य रूप से विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक) पर होनेवाला खर्च शामिल होता है। सभी बजट मदों की तरह ही इसको भी राजस्व और पूंजी घटक में बांटा जाता है। (प्रभात खबर, 7.7.2014)

RAILWAY BUDGET 2014-15

THE RAILWAY RUPEE FOR 2013-14

WHERE THE RUPEE CAME FROM (IN %)

INCOME ***Miscellaneous receipts:*** *Comprises mainly the safety surcharge on passenger fares and subsidy from general revenues for dividend.* ***Other coaching earnings:*** *Income from railway parcels service, defense movement and special trains.* ***Sundry earnings:*** *Income from non-traditional sources like leasing of land. Optical fibre, network, commercial publicity on railway property.*

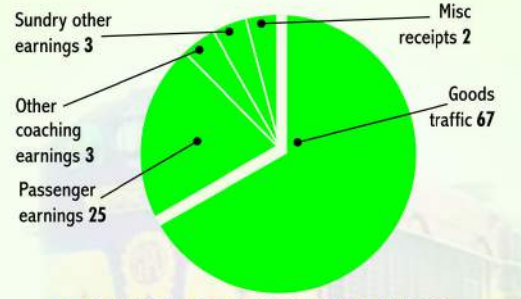

WHERE THE RUPEE WENT (IN %)

EXPENDITURE ***Working Expenses :*** *Includes staff wages and allowances, fuel, lease charges, stores and miscellaneous expenditure.* ***Pension fund:*** *To pay pension to former employees.* ***Dividend:*** *Paid to the general exchequer in Perpetuity for capital-in-charge at the rate of 7 per cent.* ***Depreciation reserve fund:*** *Caters to the depreciation requirements.* ***Development fund:*** *Investments in development works*

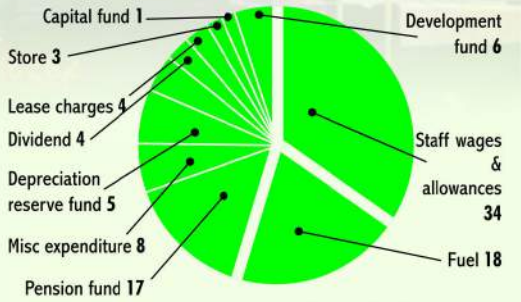

(Source: Business Standard, 9.7.2014)

BCC ROOTS FOR SPECIAL STATUS 100% INCOME TAX HOLIDAY

MAKING A POINT *Says adequate allotment of funds is essential to help the state prevail over development deficit and meet its growth aspirations*

Making a case for the grant of special category state status, Bihar Chamber of commerce and industries (BCCI) urged the Union finance minister, Arun Jaitley, to use the Budget as a golden opportunity to address the neglect meted out to the state and initiate steps for playing a proactive role in its turnaround.

In an exhaustive pre-budget memorandum for the Union general budget 2014-15, BCCI President P. K. Agrawal said the state has not been getting its due and justified share in the central allocations to overcome its economic and industrial back-wardness.

"Adequate allotment of funds is essential to help the state prevail over the development deficit and meet its growth aspirations." he said.

BUDGETARY EXPECTATIONS

• Reduce service tax from 12% to 8% restore depreciation on plant and machinery to 25% from 15% • Cut company tax rate to 25% from 30% and abolish surcharge, decrease MAT rate to 15% from 18. 5% • Raise transport allowance limit from Rs 800 to Rs 3,200 per month and exemption limit on children education • Raise medical expenses reimbursement limit from Rs 15,000 to Rs 50,000 and 80 (c) deduction to Rs 2,00,000 • Increase deduction on interest paid on housing loans to Rs. 3,50,000 from current limit of Rs 1,50,000

In order to accelerate the pace of economic growth, the Centre must devise a way for reducing rate of interest-at least by 2%- for entrepreneurs who are willing to set up industry in the backward state." Besides ensuring supply of coal for new thermal power plants in the state, the Union Budget must take care to provide adequate allocation for encouraging sugar industries, power projects, agro-based industries, food processing units, steel and engineering units, tourism and technical as well as management institutions," he said.

Making specific suggestions, the BCCI President also made a pitch for 100% exemption in income tax for industries in view of industrial backwardness of the state. "Earlier, the Centre provided 100% IT deduction to units located in 14 category-A districts and 12 category -B districts of the state, for five years and three years respectively, under section 80 I B (5) of the Income Tax Act, I961, till 2004," he said, adding: "The facility must be restored."

The Chamber President also pleaded for raising the IT exemption limit of Rs 2 Lakh to Rs 3.50 lakh for individual and HUF and reduction in the rate of income tax for tax payers of this category. He also urged the Union finance minister to raise minimum monetary limit for maintaining books of account in case of "non-specified profession", under section 44AA, from Rs 1,20,000 to Rs 2,00,000.

"The threshold limit for making payment in cash, under section 40 A (3) also be raised from Rs. 20,000 to Rs. 50,000/-."

***(Source** : Hindustan Times : 28.6.2014)*

"ताइपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर" के ट्रेड कंसल्टेंट के साथ विचार-विमर्श

दिनांक 26 जून 2014 को ताइपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कोलकाता कार्यालय के ट्रेड कसल्टेंट श्री राजीव डे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल से मिले।

श्री डे ने ताईवान में हो रहे आर्थिक विकास से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ताइवान से भारत में मशीनरीज, इलेक्ट्रिक मशीनरीज, कीमती पत्थर, प्लस्टिक, स्टील, रबर, वस्त्र, कागज, खिलौने तथा खेलकूद से संबंधित सामान आदि का निर्यात होता है। जबकि भारत से ताईवान को मिनरल फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल, लोहा एवं इस्पात, रूई, जस्ता, मशीनरीज, मछली तथा अन्य समुद्री उत्पाद, एल्युमीनियम, ताँबा आदि का निर्यात किया जाता है।

श्री डे ने बताया कि ताईवान में बहुत कम अंतराल पर विभिन्न प्रकार के व्यापार मेले आयोजित होते रहते हैं। उन्होने इन मेलों में भागीदारी हेतु चैम्बर के सदस्यों को आमंत्रित किया।

चैम्बर अध्यक्ष सहित कुछ सदस्यों ने 05-11-2014 से 09-11-2014 तक आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर के प्रति रूचि दिखाई।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री एस० पी० गुप्ता, श्री जे० के० झुनझुनवाला, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री विशाल टेकरीवाल एवं रेनोभीजन एक्सपोर्ट प्रा० लि० के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उद्योग मित्र, बिहार के निदेशक पर्षद में सदस्य के रूप में चैम्बर अध्यक्ष नामित

सहर्ष सूचित करना है कि उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार पटना ने पत्रांक 395/UM दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा उद्योग मित्र, बिहार के निदेशक पर्षद में अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डटस्ट्रीज को सदस्य के रूप में नामित किया है।

प्रस्तावित बजट 2014–15 पर चैम्बर की राय

• बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं विशेष पैकेज के साथ आधारभूत संरचना के लिए राशि मिले। • औद्योगिक विकास में बाधक कानूनों का सरलीकरण हो। जीएसटी तुरंत लागू हो। • उद्योगों पर लगने वाले 30 कानूनों का सरलीकरण हो। सेल्फ डिक्लेरेशन को प्राथमिकता मिले। • शिक्षा, स्वास्थ्य, नदियों को जोड़ने, इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर एवं मेन्युफैक्चरिंग हब को प्राथमिकता मिले। • छूट सीमा आयकर में 3.50 लाख, सर्विस टैक्स में 25 लाख हो।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष

• भागलपुर के मृतप्राय सिल्क उद्योग के लिए विशेष योजना बने। • बिहार को बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो। • खाद्य प्रसंस्करण से संबधित उद्योगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। • कोल्ड चेन और गोदामों की व्यवस्था सुदूर गांवों तक हो। • युवाओं, बच्चों, महिलाओं एवं सेना के जवानों के लिए बजट में विशेष प्रावाधान हो।

– शशि मोहन, उपाध्यक्ष

• गारमेंट मेन्यूफेक्चरर्स को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। • प्रत्येक राज्य में क्लौथिंग पार्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। • आयकर छूट में सीमा बढ़नी चाहिए। यह पांच लाख होनी चाहिए। • बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तभी इसका विकास होगा। • गंगा नदी में जल परिवहन का मुकम्मल इतंजाम होना चाहिए। – मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष

• आयकर की दर, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया जाना चाहिए। • ऐसी व्यवस्था हो कि महंगाई दर चार फीसद से नीचे आए। • सेंट्रल एक्साइज से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की छूट की सीमा पांच करोड़ रूपये हो। • औद्योगिक इलाकों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो। • नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले कानून बनें।

– ए. के. पी. सिन्हा, महामंत्री

• बिहार में पर्यटन एवं होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज मिले। • गंगा नदी में परिवहन की व्यवस्था हो। इससे पटना के कारोबार को नई गति मिलेगी। • बिहार के सभी पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से जोड़ा जाय। • वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी पर बैंक से मिलने वाली ब्याज दर बढ़ायी जाए। • बिहार में विद्युत उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए पैकेज मिले।

– सुरेश प्रकाश गुप्ता, होटल व्यवसायी

• हिमाचल प्रदेश की तरह बिहार में नो टेक्स जोन बनाने का प्रावधान हो। • बिहार में विद्युत उत्पादन के लिए विशेष पैकेज मिले। • बिहार में सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था हो। • व्यवसायियों की दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन हो। • शिक्षा ऋण पर लगने वाले ब्याज की दर को कम किया जाए। – राजेश जैन, उद्यमी, पटना

• टीडीएस की व्यवस्था खत्म हो अथवा इसका रेट पांच फीसद किया जाए। • इनकम टैक्स के रेट के स्लैब में सशोधन किया जाए। पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं लगे। 10 लाख तक 10 फीसद, 20 लाख तक 20 फीसद एवं इससे अधिक पर 25 फीसद टैक्स लगे। • एकल जीएसटी लागू होना चाहिए। इससे देश के किसी भाग से खरीदारी करने पर सेनवैट का लाभ मिल सकेगा। • पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स स्ट्रक्चर कम किया जाए।

– नवीन कुमार मोटानी, खाद्य व्यवसायी, पटना

• दवा व्यवसायियों पर लागू जटिल कानूनों को सरल बनाया जाए। • जीवन रक्षक दवाओं की कीमत कम की जाए। • बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। • आयकर की सीमा बढ़ायी जाए। आयकर में वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा घटाकर 60 वर्ष की जाए। • बिहार में इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। – सावल राम डोलिया, दवा व्यवसायी

• काला धन को कम करने के लिए आयकर स्तर में बदलाव हो। 10 लाख पर 10 फीसद, 30 लाख पर 20 फीसद और पांच करोड़ के ऊपर की आमदनी पर 40 फीसद का स्लैब लगाया जाए। • 50 लाख रूपये से ऊपर एनपीए होने पर बैंक अधिकारियों से इसकी वसूली की जाए। • जनता की योजनाओं में धाधली करने वाले अधिकारियों सहित अन्य लोगों को कड़ी सजा दी जाए। • सरकारी पैसे का घोटाला करने वाले नौकरशाहों एवं राजनेताओं को देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाए। • ग्रामीण विकास और खेती के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान हो।

– परसन कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन

(साभार: दैनिक जागरण, 29.6.2014, 1.7.2014 से 7.7.2014)

BCCI WANTS MPs TO PUSH FOR BIHAR SCHEMES

The Bihar Chamber of Commerce and Industry (BCCI) has written to MPs from Bihar to take initiatives to get the pending Central schemes implemented in the state for its industrial development.

BCCI President P K Agrawal, referring to the pending railway schemes, demanded immediate sanction of additional Rs 600 crore for completion of the Digha- Pahleza rail-cum-road bridge to ease the heavy traffic on the dilapidated mahatma gandhi setu, the only vital link between south and north Bihar.

He suggested doubling of tracks, conversion from metre gauge to broad gauge and laying new railway line between Hajipur-Vaishali-Sugauli, Muzaffarpur-Chapra and Chapra-Drbhanga, Purnia-Madhepura, Jhanjharpur-Sakari-Nirmali, Nawada-Lakshipur, Gaya-Bodh Gaya, Chatra-Nateshwar, Motihari-Sitamarhi, Ara-Bhabhua, Muzaffarpur-Darbhanga, Kursela-Bihariganj, Sitamarhi-Jaynagar-Nirmali, Darbhanga-Kushewarsthan, Sakri-Hasanpur, Khagaria- Kushewarsthan, Araria-Kishanganj and Sheohar in Tirhut division.

He said new railway bridges on the Gandak and diara area, diesel loco factory at Marhoura (Saran), electric railway engine factory at Madhepura and railway wagon factory at Dalmiagnagar should be set up at the earliest.

"New DEMU shed at Sonepur, wagon working at Garhara, eastern dedicated freight corridor, third railway line between Jhajha and Mugalsarai, besides metro and mono rail in Patna are essential projects for economic and industrial development of Bihar", he added.

Agrawal siad, 4-laning of NH 30 and NH 84 between Patna-Ara- Buxar, NH 28 and NH 101 Chapra and Gopalganj, 147km long Gaya-Wazirganj-Hisua-Rajair-Biharsharif-Barbigha-Sarmera-Mokama, NH 31 between khagaria-Purnia, 125km long NH 83 Patna-Gaya-Dobhi, 206 km road between Mohania Aurangabad-Dobhi-Jharkhand border should be taken up and Completed on a priority basis. **(Source- Hindustan Times, 5.7.2014)**

BCCI against entry tax on all items

Bihar Chamber of commerce and Industries (BCCI) expressed its concern over the commercial taxes department (CTD) Proposal to impose entry tax on all types of commodities entering the state.

According to B C C I president P K Agrawal, the new proposal was not at all in the interest of industries in Bihar, as entrepreneurs were already burdened with so many taxes to compete with other states in selling their products. "Besides, the proposal is inflationary", he claimed.

"Imposition of entry tax on all commodities would further increase industry's problems and negatively impact the state's economic progress with the threat of closure of industries and trade looming large", he cautioned.

He said that levy of entry tax on capital goods, raw materials and other consumables would result in increase in the capital cost of industries, dampening the spirit of new entrepreneurs and blocking industrialization.

"Industries, which import raw materials and other inputs from outside Bihar and sell their products by interstate trade charging 1% Central sales tax or export their products, would be adversely impacted due to imposition of entry tax and would incur loss ", he warned.

Agrawal has written to the chief minister, finance and CTD

minster, principal secretary finance and principal secretary, CTD, requesting them to seriously reconsider the anti-industry proposal. "The government should not go ahead with imposing the proposal in the larger interest of the pace of industrialization, which is already slow", he added. **(Source- Hindustan Times, 27.6.2014)**

FLOOD RELIEF POSER ON FOOD SUPPLY

Officials said the 2005 flood relief scam had cut the communication channel between the two departments and restricted the variety of ready-to-cook food items for flood victims.

A disaster management department official said instructions had been issued to district magistrates of 14 highly flood-prone districts and 19 medium flood-prone districts to be ready about every aspect, including distribution of sattu (roasted gram flour), gurh (jaggery) and chura (beaten rice), in case fo flood.

The disaster department has refrained from contacting the industries department regarding developing and distributing other food items in times of natural calamity.

Bihar chamber of commerce and industries president P. K. Agarwal said there were definitely other options. "In Bihar, sattu and chura are both popular in urban and rural areas during flood.

However, the food processing sector in the state has improved considerably. Apart from sattu and chura, many kinds of biscuits, makhana, bhujia, fruit drinks and maize related ready-to-eat food are manufactured. The industrialists can surely help if the departments want. A cost factor is involved but the state government can take care of that "said Agarwal. **(Details : The Telegraph, 5.7.2014)**

REVIVAL OF AGENCIES FOR TRADE LOAN

Entrepreneurs to get easy funds for start - ups

Two sick funding agencies would be revived to facilitate entrepreneurs in the state get loans faster.

Industries minister Bhim Singh said the two agencies- Bihar State Credit and Investment Corporation Limited (BICICO) and the Bihar State Financial Corporation (BSFC) - would be revived so that industrialists do not have to crib over the alleged non-cooperative attitude of banks for loans.

Also, the land scarcity for industries has caught the eyes of the minister. The state government is thinking of buying plots from land owners rather than acquiring it. In addition to this, the industries department will get in touch with other departments, which have unused plots in the districts to request them for land transfer so that they can be used in industrialisation.

Following the minster 's statement, industry bodies described it a "commendable step".

"It is definitely a good step If the agencies work properly it would be of great help for the start-ups. We had requested the revival of the two agencies long back. The minister's assurance is a commendable step forward," said P. K. Agarwal, president, Bihar Chamber of Commerce and Industries. **(Details : The Telegraph, 17.6.2014)**

'REVOLVING FUND' TO BOOST NEW INDUSTRIES

"To provide financial as assistance to micro, small and medium industrial units of the state, the cabinet approved the industries department's proposal to create a revolving fund of Rs 25 crore each to be paid to Bihar State Credit and investment Corporation Limited (BICICO) and the Bihar State Financial Corporation (BSFC)," cabinet department principal secretary Brajesh Mehrotra said.

The BSFC provides financial assistance to micro and small enterprises, whereas BICICO gives loans to medium sector enterprises.

The sick units, which have become a major hindrance in the industrialisation process, would be provided soft loan at five per cent interest rate, the principal secretary said, adding that industrial units would have to take 70 per cent as bank loans, while the remaining or Rs 2.5 crore would be provided as soft loan through revolving fund.

The industrialists, however, termed the decision as a "drop in the ocean" which would not serve the very purpose for which the fund has been created for the revival of industrial units.

" We had requested the revival of the two agencies long back but the decision to create a corpus of Rs 25 crore each for B I C IC O and BSFC is insufficient. Reason, the amount is too meagre to meet the purpose of reviving sick industrial units. The BSFC alone has the ability to provide loan of up to Rs 90 lakh to a single sick unit and there are about 1,000 such micro, small and medium industrial units in Bihar. Given the figures of sick units, one can imagine how the revival plan would work with the little amount," Bihar Chamber of Commerce and Industries president P. K. Agarwal said. **(Details- The Telegraph, 18.6.2014)**

उद्योग स्थापित करने में दुष्कर्म से भी ज्यादा कष्टः पर्रीकर

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी उद्यमी को औद्योगिक इकाई शुरू करने में दुष्कर्म झेलने वाली महिला से भी बदतर कष्ट होता है। उनके बयान की महिला संगठनों ने तीखी आलोचना की है।

हाल ही में गोवा उद्योग संगठन के एक कार्यक्रम में पर्रीकर ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, 'अगर किसी महिला से दुष्कर्म होता है तो उसे किसी एक इस्पेक्टर की पूछताछ से गुजरना होता है। लेकिन अगर किसी को उद्योग शूरू करना है तो उसे 16 इंस्पेक्टरों से निपटना होता है। विवाद बढ़ा तो पर्रीकर बोले कि उन्होंने टिप्पणी हल्के अंदाज में की थी। वे औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रक्रिया सरल बनाने की बात कह रहे थे। **(साभारः दैनिक भास्कर, 30.6.2014)**

बिहार सरकार

BIADA

एक मुश्त निपटारा योजना (OTS)

बियाडा का उद्यमियों के पास वर्षों से लंबित बकाया राशि की वसूली हेतु एक मुश्त निपटारा योजना (OTS) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाईयों के भूखण्ड/शेड आवंटन के विरुद्ध बकाया, रख-रखाव खर्च (Maintenance Charge) एवं सरकार द्वारा प्राधिकार के माध्यम से मुहैया करायी गयी विभिन्न प्रकार के ऋण की राशि यथा सूद मुक्त ऋण, बीज धन ऋण, औद्योगिक ऋण आदि की वसूली एक मुश्त किया जाना है। एक मुश्त निपटारा योजना की शर्तें एवं पात्रता इस प्रकार है:-

1. जिन इकाईयों ने पूर्व में लागू OTS के तहत आवेदन दिया हो एवं किसी कारणवश उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, अथवा
2. जो इकाईयाँ आवेदन की तिथि में कार्यरत है, अथवा
3. जिन्होंने एक्जिट पॉलिसी 2013 के तहत आवेदन दिया है, वे इस योजना के पात्र होंगे।
4. उपरोक्त तीन प्रकार के अलावा अन्य इकाईयों को मूलधन 100% मूलधन के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
5. यह योजना किराए पर आवंटित शेड पर भी लागू होंगी।
6. यह योजना 15.6.2014 से 31.12.214 तक प्रभावी होगी।
7. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को 30 नवम्बर 2014 तक निश्चित रूप से ENROL कराना होगा।
8. एक मुश्त निपटारा (OTS) योजना मूल्य एक मुश्त जमा करना होगा।
9. जिन उद्यमियों द्वारा ENROL कराने के बाद 31.12.2014 तक पूरी राशि नहीं जमा की जायगी उन्हें OTS का लाभ नहीं दिया जायगा तथा उनके बकाये की गणना सामान्य दर से करते हुए उनके द्वारा जमा की गई आंशिक राशि का समायोजन सामान्य बकाये में कर ली जायगी।
10. वैसी इकाईयाँ जो पूर्व में इस योजना से लाभन्वित हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

-सचिव

Bihar Industrial Area Development Authority
1st Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna - 800004
Phone No. - 0612-2675352/2675991/2675296 Fax : 0612-2675889
Email : biada@rediffmail.com • website.www.biadabihar.in

Source- Hindustan, 4.7.2014

दो साल में सिल्क धागे का उत्पादन दोगुना

इस साल करीब 50 मीटरिक टन धागों के उत्पादन की तैयारी

सदियों से बिहार की खास पहचान रहे तसर सिल्क के उत्पादन की तसवीर बदल रही है। इस साल करीब 50 मीटरिक टन तसर के धागों का उत्पादन होने की उम्मीद है। पिछले दो सालों के मुकाबले इस वर्ष लगभग दोगुना उत्पादन होगा। आनेवाले वर्षों में कई गुना इजाफे की तैयारी है। तसर उत्पादन बढ़ने से कई जिलों में किसानों की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, राज्य के सिल्क उद्योग की तकदीर भी बदल जायेगी। भागलपुर का सिल्क उद्योग ज्यादातर कोरिया और चीन के सिल्क के धागों पर निर्भर हो चुका है। ये धागे महंगे मिलते हैं और क्वालिटी भी

अच्छी नहीं होती है। तसर सिल्क के धागों से बने कपड़े भागलपुर और बिहार की खास पहचान रहे हैं। तसर उत्पादन बढ़ने से यहां के बुनकरों को किफायती और उच्च गुणवत्ता के असली तसर के धागे मिलेंगे। इससे बुनकरों का पलायन रुकेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 24.6.2014)

हाजीपुर में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हाईवे भी जुड़ेंगे

मास्टर प्लान 2031 पटना नगर निगम के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र को शहर से बाहर करने की योजना है। इसको लेकर विशेष योजना तैयार की गई है। अभी हाजीपुर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राष्ट्रीय राजपथ 74 व स्टेट हाईवे 77 को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ा जाएगा। सरकार ने पहले से निर्धारित कर लिया है कि औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वर्तमान औद्योगिक इकाइयों को धीरे-धीरे प्रस्तावित स्थलों पर शिफ्ट किया जाएगा।

फतुहा से बिहटा तक प्रस्तावित रिंग रोड : सरकार विस्तृत पटना के हाजीपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर राघोपुर के पास तक के खाली भाग को रखा जाएगा। इसके अलावा फतुहा से लेकर बिहटा तक प्रस्तावित रिंग रोड के अगल-बगल भी इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना है। इन स्थानों को स्पेशल इकॉनोमिक जोन (SEZ) में रखा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था से बाहरी कंपनियों को जमीन देने के बारे में सरकार तुरंत कोई फैसला ले सकेगी। अभी तक सेज के अभाव में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस स्थिति में निवेश करने वाली कंपनियां दूसरे प्रदेशों में चली जाती हैं। मास्टर प्लान में अलग से इसके लिए व्यवस्था रहेगी। (विस्तृत: दैनिक भास्कर, 24.6.2014)

BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना द्वारा माह जुलाई, 2014 से प्रत्येक माह निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकार के क्षेत्रीय कार्यालय में उद्यमी अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी की समस्याओं का निस्तार किया जायेगा। उक्त कार्य दिवसों को प्राधिकार के मुख्यालय से वरीय पदाधिकारी उद्यमी अदालत में भाग लेंगे।

उद्यमी अदालत का कार्यक्रम

क्रम	माह	मुख्यालय पटना	क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा	क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर	क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर
		पूर्वाहन 10.30 से 12.30	पूर्वाहन 11.00 से 1.00	पूर्वाहन 11.00 से 1.00	पूर्वाहन 10.00 से 12.00
1	जुलाई	04.07.2014	08.07.2014	11.07.2014	19.07.2014
2	अगस्त	01.08.2014	05.08.2014	08.08.2014	23.08.2014
3	सितम्बर	05.09.2014	09.09.2014	12.09.2014	20.09.2014
4	अक्टूबर	08.10.2014	10.10.2014	14.10.2014	18.10.2014
5	नवम्बर	07.11.2014	14.11.2014	18.11.2014	29.11.2014
6	दिसम्बर	05.12.2014	09.12.2014	12.12.2014	20.12.2014
7	जनवरी	02.01.2015	06.01.2015	09.01.2015	17.01.2015
8	फरवरी	06.02.2015	10.02.2015	13.02.2015	20.02.2015
9	मार्च	06.03.2015	10.03.2015	13.03.2015	20.03.2015

- जिन उद्यमियों को बियाडा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित अवधि में उपस्थित हो सकते हैं।
- अगर वे अपना आवेदन निर्धारित तिथि के कम-से-कम 10 दिन पूर्व प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक को उपलब्ध करा दें तो उनकी समस्या को स्थल पर ही समाधान करने में सहूलियत होगी।
- उस तिथि को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों के प्रभारी भी समीक्षात्मक बैठक एवं उद्यमी अदालत हेतु उपस्थित रहेंगे।
- बैठक के निर्धारित कार्यदिवस को अवकाश रहने पर बैठक का आयोजन अगले कार्यदिवस को होगा।

प्रबंध निदेशक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-800004
Ph/ FAX – 0612-2675002/2675352/2675889(F)
email- biada@rediffmail.com • Website www.biadabihar.in

(साभार : बियाडा)

सूबे के बीमार उद्योगों की सुधरेगी सेहत

राज्य के बीमार उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने एक फंड बनाया है। 50 करोड़ रुपये के साथ इस रिवॉल्विंग फंड (चक्रीय निधि) की शुरूआत की गयी है। फंड से बीमार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में नयी जान फूंकने के लिए मामूली ब्याज पर कर्ज मिलेगा। बीमार औद्योगिक इकाइयों के दर्जनों सहायता प्रस्ताव उद्योग विभाग के पास विचाराधीन हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बारे में विभाग जल्दी ही आदेश जारी कर सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) की परिभाषा के मुताबिक और उद्योग विभाग की शीर्ष समिति द्वारा बीमार घोषित हो चुकी राज्य की औद्योगिक इकाइयों की मदद के लिए यह फंड बनाया गया है। बीमार घोषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) को इसका लाभ मिलेगा। इस फंड से सहायता पाने के लिए बीमार उद्योगों के मालिकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमइडीआइ), पटना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। बीमार उद्योग के लिए आरबीआइ द्वारा तय मानकों को पूरा करना जरूरी है। राज्य के उद्योग विभाग की शीर्ष समिति आवेदनों की जांच के बाद तय करेगी कि सहायता देनी है या नहीं। सरकार की ओर से नियुक्त एजेंसी सहायता प्रस्ताव की जांच कर शीर्ष समिति को रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आर्थिक सहायता के बारे में फैसला लिया जायेगा। (विस्तृत: प्रभात खबर, 26.6.2014)

सिंगल विंडो एक्ट का प्रयोग करें उद्यमी

सरकार ने उद्यमियों की सहूलियत के लिए सिंगल विंडो एक्ट बनाया है। इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं। उद्यमियों से अपील है कि वे इसका प्रयोग करें। एक करोड़ रुपये से कम की प्रोजेक्ट के लिए जिले में और इससे अधिक की प्रोजेक्ट के लिए मुख्यालय में आवेदन आता है। उक्त बातें उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने कहीं वे बिहार एमएसएमइ सम्मिट 2014' ऑपरच्यूनिटीज, ग्रोथ, परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेज' कार्यक्रम में बोल रहे थे।

(विस्तृत: प्रभात खबर, 26.6.2014)

Labour laws applicable to the building and construction industry in India

(1) Fatal Accidents Act, 1855 (2) Workmen's Compensation Act, 1923 (3) Trade Unions Act, 1926 (4) Children (Pledging of Labour) Act, 1933 (5) Payment of Wages Act, 1936 (6) Employers' Liability Act, 1938 (7) Weekly Holidays Act, 1942 (8) Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (9) Industrial Disputes Act, 1947 (10) Employees State Insurance Act, 1948 (11) Minimum Wages Act, 1948 (12) Factories Act, 1948 (13) Mines Act, 1952 (14) Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (15) Collection of Statistics Act, 1953 (16) Apprentices Act, 1961 (17) Maternity Benefit Act, 1961 (18) Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (19) Motor Transport Workers Act, 1961 (20) Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963 (21) Payment of Bonus Act, 1965 (22) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (23) Payment of Gratuity Act, 1972 (24) Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (25) Equal Remuneration Act, 1976 (26) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (27) Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1996 (28) Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (29) Building and other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (30) Rashtriya Swasthya Bima Yojna Scheme.

रियल एस्टेट कानून के दायरे में वाणिज्यिक भी

आएगा नया कानून : • आवास मंत्रालय वाणिज्यिक और औद्योगिक रियल एस्टेट को भी रियल एस्टेट विधेयक में लाने की कर रहा है तैयारी • विधेयक के मौजूदा स्वरूप में सिर्फ आवासीय रियल एस्टेट शमिल।

(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.6.2014)

जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जेटली ने किया विमर्श

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की, जिससे इसके जल्द लागू होने की उम्मीद बनी है। जीएसटी पर गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने बैठक के बाद कहा कि इसमें सभी राज्य उपस्थित थे और केंद्र को कुछ मसले हैं, जिनका समाधान करना है।

बहुप्रतीक्षित अप्रत्यक्ष कर सुधार पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में विभिन्न मुद्दों पर एकमत कायम नहीं होने की वजह से लागू नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सभी मुद्दों का समाधान कर राज्यों का जीएसटी लागू करने में मदद लेने का वादा किया था।

राज्यों की मांग : • इसके अतिक्ति जीएसटी क्षतिपूर्ति भी एक मुद्दा है। राज्यों का पक्ष है कि जीएसटी को लागू करने से राज्यों को होनेवाले राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए। • केंद्र सरकार ने तीन वर्षों तक इसकी भरपाई करने की बात कही है लेकिन वह क्षतिपूर्ति के मामले को संविधान में संशोधन कर जोड़ने पर सहमत नहीं हुई है। हालांकि राज्यों ने संविधान संशोधन कर क्षतिपूर्ति को इसमें शामिल करने की मांग की है ताकि उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। • राज्यों ने प्रवेश कर का मुद्दा भी उठाया है लेकिन केंद्र सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है। राज्यों ने केंद्र के कर को बंटवारे वाले कर में शामिल करने और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर में हिस्सेदारी देने की मांग की है।

(साभार: दैनिक भास्कर, 4.7.2014)

मिठाई पर भी अब लगेगा टैक्स

मिठाई के शौकीन लोगों को अब अपने मुंह पर थोड़ा लगाम रखना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार मिठाई पर 13.5 प्रतिशत टैक्स लगाने का विचार कर रही है। वाणिज्य कर विभाग के अनुसार जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि एक माह में मिठाई पर टैक्स लागू हो जाएगा। फिलहाल राज्य में मिठाई टैक्स फ्री है।

सभी मिठाइयों पर टैक्स नहीं : विभाग के अनुसार उन्हीं मिठाइयों पर टैक्स लगेगा जिनकी कीमत 500 रुपये प्रतिकिलो से अधिक है।

(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 23.6.2014)

टैक्स रिटर्न में देना होगा मोबाइल नंबर व ईमेल

आयकर दाताओं को इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय मोबाइल नंबर और ईमेल भी डालना होगा। यह जानकारी किसी भी तरह से रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को देनी होगी। चाहे आप कागजी रिटर्न फाइल करें या इसे इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दाखिल करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए रिटर्न फॉर्म में एक नया कॉलम शमिल किया है। इसी कॉलम में ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि विभाग के नए कदम से रिटर्न दाखिल करने के बाद किसी दिक्कत की जानकारी करदाता को सीधे दी जा सकेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.7.2014)**

' No list of Indians with money in Swiss banks'

India was told four days ago that there was no list of Indian tax residents holding assets in Swiss Banks in their own name or through structures, the Rajya Sabha was informed. But the government said the Swiss National Bank on its website had reported the total deposit of Indians in their banks had increased Rs. 14, 100 crore at the end of 2013 from Rs. 8,547 crore a year ago. **(Source : Business Standard, 9.7.2014)**

दिसंबर तक तीन हजार मेगावाट बिजली : सीएम

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि इस साल के अंत तक राज्य में बिजली आपूर्ति को बढ़ा कर तीन हजार मेगावाट और अगले साल के अंत तक चार हजार मेगावाट किया जायेगा। बिजली के उत्पादन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कांटी, नवीनगर, बरौनी एवं बाढ़ में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त चौसा, पीरपैंती व कजरा में भी विद्युत संयंत्र की स्थापना पर कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में बिजली की स्थिति में लगातार सुधार होगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऊर्जा को प्राथमिकता दी थी। इसके परिणामस्वरूप जहां राज्य में पांच-छह सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन एवं वितरण होता था, वहीं आज 2400 से 2500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है।

(साभार : प्रभात खबर, 2.7.2014)

Govt non-committal on DTC, says Bill has lapsed

The Direct Taxes Code, which proposed the overhaul of the 60-year Income Tax Act, has lapsed, the government said without giving any commitment on reviving it. **(Business Standard, 9.7.2014)**

व्यापारी राशि के साथ होंगे सम्मानित

राज्य सरकार अब अच्छे टैक्स देने वाले व्यापारियों को राशि देकर सम्मानित करेगी। विभाग के अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग के अंचलों को दो श्रेणी में बांटा गया है, इनको 19 बड़े अंचल एवं 30 छोटे अंचलों में बांटा गया है। प्रति अंचल के तीन व्यापारियों का चयन किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 एवं तृतीय पुरस्कार 25,000 दिया जाएगा। छोटे अंचल के व्यापारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 50,000, 25000 एवं 11,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.6.2014)**

Roadshow plan to woo investors

The industries department would hold a series of road-shows in the state and outside to woo investors to two private industrial areas.

The State Investments promotion Board (SIBP) approved these private industrial areas eight months ago and a roadshow was held earlier but nobody has formally stepped into them. The series of roadshows being planned now seem like a desperate effort to spread word about the private industrial areas.

The plot thins down : *• The state government has so far approved two private industrial areas (PIAs) one at Mokama and the other at Mahua • According to PIA policy, the state has to appoint a project management agency for each PIA to take care of it and draw investors • The State has four project management agencies- IL & FS CDI Limited, Darashaw and Co. Pvt. Ltd., SREI & FGAPL consortium and HEBE Financial Services Private Limited • But no such agency has been appointed for the two PLAs • Neither have the two PIAs seen any investment • The PIA is the only way by which the state government can offer land to investors • The 'Aao Bihar' initiative did bring some land offers but the state government is yet to act on them • The state government is now contemplating to buy land directly from landlords at current market prices and create land banks in each district* **(The Telegraph, 5. 7. 2014)**

बिना ब्याज बकाया बिजली बिल 31 तक जमा करें

बिजली बिल के बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी ने वन टाईम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना की अवधि बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने 31 जुलाई 2014 तक ओटीएस का समय बढ़ाया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान 5.7.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296